न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर

प्रकीर्ण फौ0 अपील वाद सं0 82/2023,

बृजेश कुमार आदि –बनाम– अनीता कुमारी आदि

CNR No. **UPAN010035822023**

Criminal Misc. UPAN010035822023

Criminal Misc. Cases/329/2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र 4ब

03.08.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण बृजेश कुमार आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पर सुना गया।

2. प्रार्थीगण बृजेश कुमार आदि द्वारा प्रार्थना 4ब2 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, विपक्षी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत घरेलू वाद की जानकारी प्रार्थीगण/विपक्षीगण को कभी नहीं थी चूंकि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थी/विपक्षीगण के विरूद्ध कई मुकदमा दाखिल की है, इस कारण विपक्षी/प्रार्थिनी सं1 के द्वारा प्रेषित रजि0 का केवल आधार मानकर अवर न्यायालय ने प्रार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 22.11.2018 को मुकदमे में एक पक्षी रूप से कार्यवाही अग्रसारित करके दिनांक 05.12.2020 को एक पक्षीय रूप से मुकदमे को निर्णीत कर दी गयी जो अवर न्यायालय द्वारा अपने विवेक का दुरूपयोग किया है। प्रार्थीगण को मुकदमें की जानकारी तब हुई जब विपक्षी/प्रार्थिनी सं01 द्वारा दिनांक 30.08.2023 को गांव में शोर किया अभी एक मुकदमे में जेल गये है अभी घरेलू हिंसा में भी जेल जायेंगे। तब प्रार्थी सं01 अविलंब कचेहरी आया और अधिवक्ता नियुक्त कर एक पक्षीय आदेश दिनांकित 05.12.2020 की दिनांक 12.09.2023 को नकल प्राप्त किया। अपील प्रस्तुत करने मे जो विलंब हुआ वह उपरोक्त परिस्थितिवश हुई जो क्षमा होने योग्य है और विलंब मर्षण करते हुए न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2020 निरस्त करके मुकदमा गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने की याचना की गयी।

3. विपक्षी सं01 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

4. सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 05.12.2020 को पारित किया गया। प्रस्तुत निगरानी वाद दिनांक 22.09.2023 को संस्थित की गयी। प्रार्थी के कथनानुसार, प्रार्थी को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 30.08.2023 को प्रार्थी का प्रश्नगत आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***इन्प्रूबमेन्ट ट्रस्ट लुधियाना बनाम उजागर सिंह और अन्य 2010 (28) एल.सी.डी. पेज–1531 सुप्रीम कोर्ट*** के

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.08.03 16:57:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मामले में यह व्यवस्था प्रतिपादित किया है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा करने के आवेदन को सामान्यतया स्वीकार करते हुए किसी प्रकरण को उभयपक्ष को सुनने के बाद गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिये। विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं करना चाहिये तथा ऐसे मामलों में न्यायालय को उदारता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***अब्दुल गफूर व अन्य बनाम बिहार राज्य 2012 ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट 640*** के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पुनरीक्षण के मामले में परिसीमा का यन्त्रवत प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को हाईपर टेक्निकल अप्रोच के आधार पर आदेश नहीं पारित करनी चाहिए। उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में प्रस्तुत मामले में हाईपर टेक्निकल अप्रोच न अपनाते हुए न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6. प्रार्थना–पत्र 4ब2 न्यायहित में मु0 5000/–रू0 (पांच हजार रूपये) स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदा होने के उपरान्त अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब माफ किया जाता है। पत्रावली दिनांक 17.08.2026 को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश अम्बेडकर नगर प्रेषित हो। पक्षकारों को नियत दिनांक पर उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो।

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर
I.D.No.UP1837